	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) U.P. Power Corporation Limited (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking) CIN : U32201UP1999SGC024928 शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001	
---	---	--

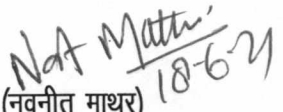
संख्या-1444-औ०सं०-17/पाकालि/2021-159-ए/67

दिनांक 18 जून, 2021

उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-4 की अधिसूचना आदेश संख्या-3-ई०एम०/2012-का-4-2021 दिनांक 25.05.2021 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

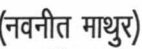
1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०),/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं के०स्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव-I/II/III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/समस्त कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
9. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓ 14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाइल।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


 (नवनीत माथुर)
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्या-1444(1) औ०सं०-17/पाकालि/2021/तददिनांक:-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।


 (नवनीत माथुर)
 वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

पंजी संख्या 1444 ऑ. सं. 17/प्रकलि/20
प्रकलि संख्या 159A/67
क्र. सं. क.

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-3-ई.एम./2012-का-4-2021
लखनऊ, दिनांक 25 मई, 2021

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रख्यापित अधिसूचना संख्या-3-ई.एम./2012-का-4-2021, दिनांक 25 मई 2021 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
- (2) प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य के 02 हिन्दी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (8) संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराने के अनुरोध के साथ।
- (9) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(राजेश प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

Today Received

म. प्र. (क्र. सं.)/म. सं. 1

PO

SO N

(M. De. aral)

AR (R) 1120
7/6/21

Uttar Pradesh Shasan
Karmik Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication the following English translation of notification no. 3-E.M/2012-Ka-4-2021, dated 25 May, 2021

NOTIFICATION

No. 3-E.M/2012-Ka-4-2021,
Lucknow: dated: May 25, 2021

WHEREAS the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act No. 30 of 1966) the Governor is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this notification in the Gazette, strikes in :-

- (1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;
- (2) any service under a corporation owned or controlled by the State Government and any service under a local authority.

Under sub-section (2) of section-3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the Gazette and in at least two daily newspapers of Hindi and English having circulation in the State.

by order,



(Mukul Singhal)
Additional Chief Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-3-ई.एम./2012-का-4-2021
लखनऊ, दिनांक 25 मई, 2021

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में निषिद्ध करती हैं:-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा,
- (2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना, गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से

(मुकुल सिंहल)

अपर मुख्य सचिव।